विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 345

दुर्ग, दिनांक 28/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 32
दिनांक: 28/07/2026

M/s Tethys Hydrocarbon (P) Limited
पता : प्लॉट नं. 37, इंजीनियरिंग पार्क,
हेवी इंडस्ट्रियल एरिया, हथखोज, भिलाई
बी.पी. क्रमांक : 1009376469
मोबाइल : 8839836356

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता, नगर संभाग पूर्व,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भिलाई।
2. सहायक अभियंता, छावनी जोन,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भिलाई।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 28 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक मेसर्स टेथिस हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 37, इंजीनियरिंग पार्क, हेवी इंडस्ट्रियल एरिया, हथखोज, भिलाई द्वारा अपने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क्रमांक बी.पी. 1009376469 में विगत कुछ माह से सामान्य खपत की अपेक्षा अत्यधिक विद्युत खपत दर्शाते हुए विद्युत देयक जारी किए जाने का आरोप लगाते हुए यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा वास्तविक रूप से की गई विद्युत खपत की तुलना में विद्युत बिलों में अत्यधिक खपत दर्शाई गई है तथा अनावेदकगण द्वारा बार–बार शिकायत किए जाने के बावजूद बिलों में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया।

Received Bale 14/10/26

आवेदक द्वारा लगभग ₹10,26,760/– की अतिरिक्त राशि वसूल किए जाने का दावा करते हुए उक्त राशि की वापसी, ब्याज तथा गलत बिलिंग के कारण हुई आर्थिक क्षति एवं मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्न तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. आवेदक के परिसर में औद्योगिक प्रयोजन हेतु विद्युत कनेक्शन स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का अनुबंधित/स्वीकृत भार प्रारंभ में 150 HP (लगभग 112 KW) था।

3. आवेदक के कनेक्शन में मीटर क्रमांक H0476485 स्थापित था तथा मीटर एवं CT का मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) 60 था।

4. अधिक बिल आने की शिकायत के पश्चात दिनांक 25.11.2025 को उक्त मीटर को निकालकर नया स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697648 स्थापित किया गया।

5. पुराने मीटर एवं CT का परीक्षण केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया।

6. परीक्षण रिपोर्ट में मीटर एवं CT को सही पाया गया।

3. आवेदक की शिकायत एवं मांग

आवेदक का मुख्य कथन है कि जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के विद्युत बिलों में सामान्य खपत की अपेक्षा अत्यधिक खपत दर्शाई गई है। आवेदक के अनुसार बिलों में दर्शाई गई खपत उसके औद्योगिक उत्पादन एवं पूर्व की खपत प्रवृत्ति से मेल नहीं खाती।

आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अनावेदकगण के कार्यालय में बार–बार शिकायत किए जाने के बावजूद बिलिंग संबंधी समस्या का उचित निराकरण नहीं किया गया।

आवेदक के अनुसार उससे लगभग ₹10,26,760/– अतिरिक्त राशि वसूल की गई है।

अतः आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष निम्न मांगें प्रस्तुत की गई हैं :–

1. असामान्य एवं अत्यधिक बिलिंग की विस्तृत जांच कराई जाए।

2. वास्तविक रूप से दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विवादित बिलों का पुनरीक्षण किया जाए।

3. अतिरिक्त वसूल की गई ₹10,26,760/– की राशि ब्याज सहित वापस की जाए।

4. गलत बिलिंग एवं शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं किए जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति, असुविधा एवं परेशानी के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों में मुख्यतः निम्न तथ्य बताए गए हैं :–

1. आवेदक के कनेक्शन में माह सितंबर 2025 एवं अक्टूबर 2025 में अधिक बिल आने की शिकायत प्राप्त होने पर मीटर की जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2. दिनांक 25.11.2025 को सहायक अभियंता, एस.टी.एम., नगर संभाग दुर्ग द्वारा मीटर क्रमांक H0476485 एवं CT को निकालकर नया स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697648 स्थापित किया गया। दोनों में CT ratio 300/5। तथा MF 60 बताया गया है।

3. दिनांक 29.12.2025 को पुराने मीटर क्रमांक H0476485 एवं CT का केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षण किया गया।

4. दिनांक 14.01.2026 को प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मीटर एवं CT को सही पाया गया तथा उक्त रिपोर्ट उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई।

5. सितंबर 2025 एवं अक्टूबर 2025 के बिलों की जांच करने पर MRI द्वारा दर्ज खपत क्रमशः 43,788 यूनिट एवं 42,726 यूनिट पाई गई। संबंधित अधिकतम मांग (MD) भी लगभग 129.6 KW एवं 126 KW रही तथा Power Factor लगभग 0.83 रहा।

6. स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद जनवरी 2026 में खपत 55,625 यूनिट, फरवरी 2026 में 44,409 यूनिट तथा मार्च 2026 में 47,529 यूनिट दर्ज हुई। संबंधित MD क्रमशः लगभग 123 KW, 133 KW एवं 152.1 KW रही।

7. अनावेदकगण के अनुसार पुराने एवं नए दोनों मीटरों में दर्ज खपत की प्रवृत्ति में पर्याप्त समानता पाई गई है तथा मीटर परिवर्तन के पश्चात भी खपत अधिक रही है।

8. दिनांक 07.05.2026 को परिसर के निरीक्षण में स्थापित विद्युत भार लगभग 173 HP पाया गया, जो उस समय के अनुबंधित भार 150 HP से अधिक था।

9. निरीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता का Power Factor विभिन्न अवधियों में लगभग 0.76 से 0.86 के मध्य रहा।

10. आवेदक के कनेक्शन में पुराने एवं वर्तमान दोनों मीटरों का Multiplying Factor 60 है। अतः MF में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई।

11. दिनांक 07.05.2026 को आवेदक के अनुबंधित भार को 150 HP से बढ़ाकर 200 HP/लगभग 150 KW किया गया।

अनावेदकगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में मीटर परिवर्तन विवरण, केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट, रीडिंग डायरी, स्मार्ट मीटर की माहवार रीडिंग, MD एवं PF संबंधी विवरण तथा बिलिंग अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :–

"क्या आवेदक को जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जारी विद्युत देयक वास्तविक विद्युत खपत एवं मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुरूप थे अथवा उनमें कोई बिलिंग त्रुटि/विसंगति थी?"

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन, अनावेदकगण का जवाब, मीटर परिवर्तन संबंधी अभिलेख, केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, रीडिंग डायरी, स्मार्ट मीटर की माहवार रीडिंग, अधिकतम मांग (MD), Power Factor एवं बिलिंग अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

(i) पुराने मीटर की जांच

आवेदक द्वारा सितंबर 2025 एवं अक्टूबर 2025 में अधिक बिल आने की शिकायत किए जाने के पश्चात पुराने मीटर क्रमांक H0476485 को दिनांक 25.11.2025 को निकालकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

पुराने मीटर एवं CT का परीक्षण दिनांक 29.12.2025 को केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। दिनांक 14.01.2026 की परीक्षण रिपोर्ट में मीटर एवं CT सही पाया गया।

अतः उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुराने मीटर के गलत अथवा अधिक खपत दर्ज करने की पुष्टि नहीं होती।

(ii) मीटर परिवर्तन के बाद की खपत

नया स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद भी विद्युत खपत में अपेक्षित कमी नहीं आई। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जनवरी 2026 में 55,625 यूनिट, फरवरी 2026 में 44,409 यूनिट तथा मार्च 2026 में 47,529 यूनिट खपत दर्ज हुई।

विशेष रूप से फरवरी एवं मार्च 2026 की खपत की तुलना सितंबर एवं अक्टूबर 2025 की खपत से करने पर यह पाया गया कि मीटर परिवर्तन के पूर्व एवं पश्चात खपत की प्रवृत्ति में पर्याप्त समानता है।

(iii) अधिकतम मांग एवं अनुबंधित भार

आवेदक का प्रारंभिक अनुबंधित भार 150 HP अर्थात लगभग 112 KW था।

अभिलेखों के अनुसार विभिन्न महीनों में अधिकतम मांग लगभग 120 KW से 152 KW तक रही। मार्च 2026 में अधिकतम मांग लगभग 152.1 KW दर्ज हुई।

इसके अतिरिक्त दिनांक 07.05.2026 को किए गए स्थल निरीक्षण में परिसर में स्थापित भार लगभग 173 HP पाया गया, जो तत्कालीन अनुबंधित भार 150 HP से अधिक था।

यह तथ्य भी दर्शाता है कि उपभोक्ता के परिसर में वास्तविक विद्युत उपयोग एवं विद्युत मांग पर्याप्त रूप से अधिक थी।

(iv) Power Factor

अभिलेखों के अनुसार आवेदक के कनेक्शन का Power Factor विभिन्न अवधियों में लगभग 0.76 से 0.86 के मध्य रहा।

अतः केवल यूनिट खपत ही नहीं, बल्कि अधिकतम मांग एवं Power Factor से संबंधित तथ्य भी विद्युत बिल की राशि को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित हैं।

(v) Multiplying Factor की जांच

पुराने एवं वर्तमान दोनों मीटरों में CT ratio एवं Multiplying Factor संबंधी अभिलेखों का परीक्षण करने पर MF 60 पाया गया।

फोरम के समक्ष ऐसा कोई तकनीकी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित अवधि में Multiplying Factor गलत रूप से लागू किया गया था।

अतः MF के संबंध में किसी प्रकार की बिलिंग त्रुटि स्थापित नहीं होती।

(vi) उत्पादन की तुलना में खपत अधिक होने का तर्क

आवेदक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके औद्योगिक उत्पादन की मात्रा की तुलना में विद्युत खपत अधिक दर्शाई गई है।

फोरम का मत है कि उत्पादन एवं विद्युत खपत के बीच संबंध का आकलन करने के लिए केवल उत्पादन की मात्रा पर्याप्त आधार नहीं है। इसके लिए संयंत्र में स्थापित मशीनरी, मशीनों के संचालन की अवधि, वास्तविक विद्युत भार, उत्पादन प्रक्रिया तथा अन्य तकनीकी अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक होता है।

वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा ऐसा पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मीटर द्वारा दर्ज खपत को अविश्वसनीय सिद्ध किया जा सके।

(vii) ₹10,26,760/– की वापसी का दावा

आवेदक द्वारा ₹10,26,760/– की अतिरिक्त राशि वसूल किए जाने का दावा किया गया है। किंतु फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त राशि गलत मीटर रीडिंग, गलत MF अथवा अन्य किसी बिलिंग त्रुटि के कारण अतिरिक्त रूप से वसूल की गई है।

पुराने मीटर की परीक्षण रिपोर्ट में मीटर एवं CT सही पाए गए हैं तथा नए स्मार्ट मीटर की रीडिंग भी पूर्व की खपत प्रवृत्ति के अनुरूप पाई गई है।

अतः आवेदक द्वारा दावा की गई राशि की वापसी का आधार स्थापित नहीं होता।

7. फोरम का निष्कर्ष

उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजों एवं उपलब्ध तकनीकी अभिलेखों के समग्र परीक्षण के पश्चात फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :–

1. पुराने मीटर क्रमांक H0476485 का केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और वह सही पाया गया।

2. पुराने एवं नए दोनों मीटरों का Multiplying Factor 60 है तथा MF में कोई विसंगति प्रमाणित नहीं हुई।

3. मीटर परिवर्तन के पश्चात भी विद्युत खपत पर्याप्त रूप से अधिक रही, जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि पूर्व की अधिक खपत केवल पुराने मीटर की खराबी के कारण थी।

4. आवेदक के कनेक्शन में अधिकतम मांग कई अवसरों पर अनुबंधित भार से अधिक रही।

5. दिनांक 07.05.2026 के निरीक्षण में परिसर में स्थापित भार 173 HP पाया गया, जो तत्कालीन अनुबंधित भार 150 HP से अधिक था।

6. Power Factor भी विभिन्न अवधियों में अपेक्षाकृत कम पाया गया।

7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन एवं विद्युत खपत के तुलनात्मक तर्क से मीटर अथवा बिलिंग की त्रुटि प्रमाणित नहीं होती।

8. उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक जारी विद्युत बिलों में ऐसी कोई तकनीकी अथवा गणनात्मक त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई है जिसके कारण बिलों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो।

9. अतः ₹10,26,760/– की राशि की वापसी अथवा उस पर ब्याज/मुआवजा प्रदान करने का आधार भी स्थापित नहीं होता।

8. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :–

1. आवेदक मेसर्स Tethys Hydrocarbon (P) Limited द्वारा विद्युत बिलों में अत्यधिक एवं गलत खपत दर्शाए जाने संबंधी शिकायत प्रमाणित नहीं पाई जाती है।

2. पुराने मीटर क्रमांक H0476485 एवं CT की केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में की गई जांच में मीटर एवं CT सही पाए गए हैं। अतः मीटर की खराबी के आधार पर पूर्व अवधि के बिलों में संशोधन किए जाने का कोई आधार नहीं है।

3. दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक जारी विद्युत बिलों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कोई ऐसी बिलिंग त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई है जिसके कारण बिलों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो।

4. आवेदक द्वारा दावा की गई ₹10,26,760/– की अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग अस्वीकार की जाती है।

5. अतिरिक्त राशि पर ब्याज तथा गलत बिलिंग/असुविधा के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग भी अस्वीकार की जाती है।

6. तथापि, अनावेदकगण यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में आवेदक के कनेक्शन की बिलिंग वास्तविक मीटर रीडिंग, लागू Multiplying Factor, अनुबंधित भार, अधिकतम मांग एवं लागू टैरिफ प्रावधानों के अनुसार ही की जाए तथा उपभोक्ता को बिल में दर्शाए गए प्रमुख गणना घटकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाता है।

9. आदेश पारित।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग